राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2005/5168/चित्तौड़गढ़

1– भवानी सिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत
2– जोरावरसिंह पुत्र रतनसिंह
निवासीगण फलौदी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

.....**अपीलान्टस**

बनाम

1– देवीलाल पुत्र लक्ष्मण सागर, उम्र नाबालिग बबलायत सरपरस्ती काका नाथू पुत्र देवाजी, चमार निवासी फलौदी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
2– हजारी पुत्र देवाजी चमार
3– नाथू पुत्र देवाजी चमार
4– श्रवण पिता गांगाजी चमार
5– जगन्नाथ पिता गांगाजी चमार
6– श्रीमति फूमा बेवा गांगाजी चमार
सभी निवासीगण फलौदी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
7– हीरा पुत्र मांग्या चमार
8– भावना पुत्र मांग्या चमार
9– रामेश्वर पुत्र मांग्या चमार
10– श्रीमती बरजी बेवा मांग्या चमार निवासीयान आमा तहसील गंगरार जिला चित्तोड़गढ़। (नाम तर्क)
11– सरकार जरिये तहसीलदार साहब गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

खण्ड–पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–
श्री के. के. पुरोहित, अभिभाषक अपीलान्टस
रेस्पोन्डेन्टस अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक : 05 मई, 2026

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 9–6–2005 (अपील संख्या–251/2002 उनवान भवानी सिंह व अन्य बनाम लक्ष्मण व अन्य) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट / वादीगण ने सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–88, 53 के अन्तर्गत खातेदारी घोषणा व विभाजन हेतु वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम फलौदी तहसील गंगरार में स्थित भूमि खसरा नम्बर–506, 512, 513, 514, 539, 558, 559 कुल किता 7 रकबा 4.24 हेक्टेयर, जिनके पुराने नम्बर–107, 667/107 में से 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्व. कालू पिता खूमा चमार ने वादीगण के पिता को संवत 2007 में विक्रय कर कब्जा दे दिया। तभी से उस पर वादीगण ही काबिज काश्त होकर इसका उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। स्व. कालू के उत्तराधिकारियों ने इस विक्रय का दिनांक 27–4–1974 को पंजीयन करवा दिया। पक्षकार अपने अपने हिस्से पर बंटवारे से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा विकल्प में यह भी निवेदन है कि वादीगण संवत 2007 से काबिज होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इस भूमि के खातेदार हो गये हैं। चूंकि वैधानिक रूप से पक्षकारों में बंटवारा नहीं हुआ है इसलिये इसका विभाजन भी कराया जाना आवश्यक है। इस कारण वाद पत्र में वर्णित भूमि में से 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादीगण के खातेदारी की घोषित की जाकर विभाजन कराया जाये और प्रतिवादीगण यदि वाद विचारण न्यायालय के दौरान इस पर जबरन कब्जा कर लेवें तो वादीगण को इसका कब्जा भी दिलाया जावे।

3– वाद एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात निर्धारित करते हुये बाद सुनवाई परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 6–11–2002 को वादीगण/अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट/वादीगण ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 9–6–2005 द्वारा अपीलान्ट/वादीगण की अपील को खारिज करते हुये न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, गंगरार का निर्णय व डिक्री दिनांक 6–11–2002 को बहाल रखे जाने के आदेश पारित किये, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की सारी कार्यवाही एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने वादीगण/अपीलान्टस व प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये 4 तनकीयात कायम की तथा प्रत्येक तनकी पर अपना निर्णय दिया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का तनकीवार निर्णय नहीं करके निर्णय पारित किया है जो सीपीसी के आदेश–41 नियम–31 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर वाद पत्र को अप्रमाणित मानते हुये निरस्त करने की डिक्री प्रदान कर दी जो पूर्णतया गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने बहाल रखे जाने में भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 6–9–2005 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार का निर्णय व डिक्री दिनांक 6–11–2002 को निरस्त किया जावे तथा वाद वादी डिक्री किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावें।

6– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया।

7– अपीलार्थीगण वादीगण ने परीक्षण न्यायालय में खसरा नम्बर–107 व 667/107 में से 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि कालू पिता खुमान से सम्वत् 2007 में क्रय करने, पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक 27–4–1974 तथा सम्वत् 2007 से ही लगातार कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा की रिलीफ चाही है। उनके द्वारा भूमि सम्वत् 2007 में खरीद करने तथा तभी से ही अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त होने को साबित

करने हेतु दावे में कोई पुष्ठ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने सम्वत् 2007 में भूमि अकेले विक्रेता कालू के अधिकार की ही होने को भी प्रमाणित नहीं करवाया है। उनके दावे में विवादित भूमि के खसरा नम्बर व रकबे की क्लेम अनुसार ताईद प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से नहीं होती है। कालू व विक्रय पत्र दिनांक 27-4-1974 के विक्रेतागण अनुसूचित जाति के जबकि अपीलार्थीगण क्रेतागण सवर्ण जाति के सदस्य होने से यह हस्तान्तरण धारा-42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार विधिमान्य नहीं है तथा न ही अपीलार्थीगण का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार मिलने का क्लेम चलने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने तथ्यों व साक्ष्यों का स्पष्ट व परिपूर्ण तनकीवार विवेचन करते हुये दावा खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलार्थीगण की अपील को प्रकरण के सभी मुख्य आधार बिन्दुओं को विवेचित करते हुये सकारण आदेश से खारिज की गई है। अपीलार्थीगण का अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश-41 नियम-31 सीपीसी के तहत निरस्त योग्य होने का क्लेम स्वीकारोक्ति नहीं है। दोनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष के साथ निर्णय निर्णय दिये गये हैं जिनमें हम विधि अथवा क्षेत्राधिकार निर्वहन संबंधी हस्तक्षेप योग्य त्रुटि होना नहीं मानते हैं। सारतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होकर निरस्तनीय है।

8- अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ व उपखण्ड अधिकारी, गंगरार का निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 9-6-2005 तथा दिनांक 6-11-2002 यथावत रखे जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य